भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-280

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

"सभी के लिए बिजली" उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य योजना

***280. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 तक विद्युत उत्पादन-क्षमता में 1,18,537 मेगावाट की वृद्धि किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और 31 अक्तूबर, 2016 तक इसमें से कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) क्या राज्यों की सहभागिता से सभी के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति करने के लिए राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत-पारेषण और वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने और पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली क्षति में कमी करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

“सभी के लिए बिजली” उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य योजना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 280 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : 12वीं योजना अवधि (2012-17) के लिए 1,18,537 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें 88,537 मेगावाट पारंपरिक ऊर्जा तथा 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। इस लक्ष्य में से, 31.10.2016 तक, 1,10,468.8 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल कर ली गई है जिसमें पारंपरिक स्रोतों से 88,928.2 मेगावाट (88,537 मेगावाट का 100.4%) तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 21,540.6 मेगावाट (30,000 मेगावाट का 71.8%) शामिल है।

क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की मानीटरिंग निम्नलिखित निगरानी तंत्र के माध्यम से नियमित आधार पर की जा रही है:

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरिंग करता है।
- 12वीं योजना के दौरान तथा इसके पश्चात् चालू किए जाने के लिए लक्षित निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की मानीटरिंग के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) स्थापित किया गया है।
- सचिव (विद्युत) द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं।
- प्रगति (अग्र सक्रिय नियंत्रण एवं समय से कार्यान्वयन) के तहत समीक्षा के लिए भी मुद्दे उठाए जाते हैं।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा अपनी ऑनलाइन कंप्यूटर निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) के माध्यम से भी केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की मानीटरिंग की जाती है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने "सभी के लिए 24x7 बिजली (पीएफए)" उपलब्ध करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त पहल की है। इन दस्तावेजों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर सभी के लिए 24x7 बिजली का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षित विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधियों की आवश्यकता के ब्यौरे हैं। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन दस्तावेजों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(घ) : वितरण नेटवर्क में पारेषण एवं वितरण (टीएण्डडी) हानियों को कम करने का दायित्व राज्य सरकारों तथा विद्युत विभागों/यूटिलिटियों का होता है। तथापि, राज्य सरकारों तथा विद्युत विभागों/यूटिलिटियों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, भारत सरकार ने उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा टी एण्ड डी हानियों को कम करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीम शुरू करना: इस स्कीम में (क) कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण; (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में, उप-पारेषण एवं वितरण संबंधी आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन जिसमें वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों तथा उपभोक्ताओं तक की मीटरिंग शामिल हैं; तथा (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था है।

ii. शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू करना: इस स्कीम में (क) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण; (ख) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; तथा (ग) वितरण क्षेत्र को आईटी समर्थ बनाने और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था है।

iii. विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का प्रचालनीकरण: पीएसडीएफ का उपयोग वितरण यूटिलिटियों द्वारा (क) नीतिगत महत्व की आवश्यक पारेषण प्रणाली के सृजन; (ख) ग्रिड में वोल्टेज स्थिति में सुधार लाने के लिए शंट कैपिसिटरों आदि की संस्थापना; (ग) मानक एवं विशेष सुरक्षा स्कीमों की संस्थापना; तथा (घ) संकुलता कम करने के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; इत्यादि की प्रस्तावित परियोजना के लिए किया जाएगा।

iv. डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय आमूल-चूल परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू करना।

v. संशोधित प्रशुल्क नीति में, सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान भी शामिल हैं:

- एसईआरसी, वितरण लाइसेंसी द्वारा लागू वर्गों के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की लागत की गणना, संबंधित वोल्टेज स्तर पर लागू पारेषण एवं वितरण हानियों तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा अनुमत वाणिज्यिक हानियों को, एक कारक के रूप में लेते हुए कर सकते हैं।
- वितरण प्रणाली में ऊर्जा की जाँच की जा सके, इसके लिए सभी वितरण कंपनियाँ अपनी विद्युत प्रणाली में स्मार्ट मीटर सुनिश्चित करेंगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-282

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

'उदय' योजना से जुड़ी समस्याएं

***282. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में गैर-सरकारी विद्युत सप्लाई कंपनियों (डिस्कॉम) को सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) से नई-नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और दीर्घकाल में इन कंपनियों को कर्ज के जाल की ओर धकेल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी राज्य सरकारों ने मंत्रालय के साथ किसी समझौते-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य सरकारों को इस योजना से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"उदय" योजना से जुड़ी समस्याएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 282 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : जी नहीं। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), राज्य-स्वामित्व की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक आमूल-चूल परिवर्तन के लिए प्रारंभ की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य वितरण क्षेत्र में ब्याज भार, विद्युत की लागत तथा विद्युत हानियों को कम करना और डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना है।

(ग) : इस स्कीम में शामिल होना राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। दिनांक 08.12.2016 की स्थिति के अनुसार, सत्रह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा एक संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी ने उदय के अंतर्गत भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(घ) : इस स्कीम के तहत राज्यों को, दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉमों के 75% ऋण को वहन करना है जो कि वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) की सीमाओं से अलग होगा। भावी हानियों की आशंका को कम करने के लिए, राज्यों/डिस्कॉमों ने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों तथा राजस्व अंतर को कम करने के लिए अनेक उपाय करने की प्रतिबद्धता की है जिनमें कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाना, अदक्ष संयंत्रों से दक्ष संयंत्रों को कोयला स्वैप करने की अनुमति उदारतापूर्वक देना, अधिसूचित कीमतों पर कोयला लिंकेज आबंटित करना, मांग पक्ष प्रबंधन एवं ऊर्जा दक्षता उपाय आदि शामिल हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2952

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

कोयला आधारित परियोजना के संबंध में भारत-बांग्लादेश समझौता

2952. श्री माजीद मेमनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र के लिए कोई ऐसा समझौता हुआ है जिसके फलस्वरूप विद्युत निर्यात की बजाय उत्पादन स्तर पर सहयोग के नए युग का सूत्रपात होगा;

(ख) क्या सरकार बांग्लादेश में इस संयुक्त उपक्रम को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और यदि हां, तो कितनी सहायता प्रदान करेगी; और

(ग) इस परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन कब तक शुरू कर देने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। एनटीपीसी लिमिटेड ने बांग्लादेश में कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के लिए 50:50 के अनुपात में इक्विटी सहभागिता के साथ बांग्लादेश में बांग्लादेश-इण्डिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी को बढ़ावा देने के लिए 29.01.2012 को बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के साथ संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) और बीआईएफपीसीएल ने 12.07.2016 को 2x660 मेगावाट रामपाल (खुलना) परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, प्रापण, निर्माण (ईपीसी टर्नकी) हेतु संविदा करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : इस परियोजना पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से 41 माह में विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2953

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं में उत्तराखंड की हिस्सेदारी

2953. श्री महेन्द्र सिंह माहराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य के संसाधनों का राष्ट्रीय स्तर पर दोहन करने की स्थिति में संबंधित राज्य को उसके विकास हेतु उत्पादन में से कुछ हिस्सेदारी राज्य को दी जाती है और यदि हां, तो यह कितने प्रतिशत होती है;

(ख) क्या उत्तराखंड में स्थापित विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन में राज्य को उसकी हिस्सेदारी समय-समय पर दी जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में स्थित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान कुल कितनी बिजली पैदा हुई और उसका कितना हिस्सा राज्य को मिला?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ, ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से निर्धारित उत्पादन और उत्तराखंड को इन स्टेशनों से निर्धारित ऊर्जा का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

केंद्रीय उत्पादक केंद्रों से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन, विद्युत-आबंटन फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात 85% का निश्चित आबंटन होता है तथा 15% अनाबंटित विद्युत तात्कालिक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आबंटित की जाती है।

निश्चित आबंटन में, जल विद्युत केंद्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% (सशुल्क) विद्युत का आबंटन शामिल है।

शेष विद्युत (हाइड्रो के मामले में 72% तथा ताप एवं नाभिकीय के मामले में 75%) का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, किया जाता है। केंद्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान देने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुसार निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

एनटीपीसी लि. की 14 नई परियोजनाओं में, केंद्र सरकार ने जनवरी, 2011 में, 'गृह' राज्य को 50% विद्युत का आबंटन करने का, 15% अनाबंटित विद्युत भारत सरकार के अधिकार में रखने का और उस क्षेत्र के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को, विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा विगत 5 वर्षों में की गई ऊर्जा खपत को समान महत्व देते हुए, 35% विद्युत का आबंटन करने का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार की व्यवस्था नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी की गई है।

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2953 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से निर्धारित उत्पादन और उत्तराखंड को इन स्टेशनों से निर्धारित ऊर्जा का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	**धौलीगंगा एचईपी**		**कोटेश्वर**		**टिहरी एचईपी**		**टनकपुर एचईपी**		***कुल***	
	कुल निर्धारित ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	उत्तराखंड के लिए निर्धारित ऊर्जा (एमयू)	कुल निर्धारित ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	उत्तराखंड के लिए निर्धारित ऊर्जा (एमयू)	कुल निर्धारित ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	उत्तराखंड के लिए निर्धारित ऊर्जा (एमयू)	कुल निर्धारित ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	उत्तराखंड के लिए निर्धारित ऊर्जा (एमयू)	***निर्धारित ऊर्जा उत्पादन (एमयू)***	***उत्तराखंड के लिए निर्धारित ऊर्जा उत्पादन (एमयू)***
2012-13	1122	190	1153	181	3086	471	475	60	***5835***	***902***
2013-14	278	48	1505	244	4022	633	378	50	***6183***	***974***
2014-15	720	123	1186	195	2967	457	425	48	***5298***	***823***
2015-16	1035	176	1231	226	3051	470	415	52	***5732***	***923***

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2954

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन योजना का क्रियान्वयन

2954. श्री हुसैन दलवई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान और वर्ष 2016-17 के बजट तक ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य-वार कितनी-कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विकेन्द्रकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) योजना के लिए वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी-कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) डीडीजी योजना के अंतर्गत अब तक कितने गांवों को शामिल कर लिया गया है; तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए डीडीजी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो इस संबंध में नीतिगत घोषणाएं क्या की गई हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को निधियों का अग्रिम (अपफ्रंट) आबंटन नहीं किया जाता है। पिछली किश्त (तों) की राशि का प्रयोग किए जाने की रिपोर्ट मिलने तथा अन्य शर्तों के पूरा होने के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं को निधियां किश्तों में जारी की जाती हैं। डीडीयूजीजेवाई, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) संघटक शामिल है, के लिए विगत पांच वर्षों में जारी की गई निधियां **अनुबंध-I** में दी गई हैं।

(ख) और (ग) : विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के अंतर्गत, देश में 4745 गांव/पुरवे विद्युतीकरण के लिए शामिल किए गए हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान डीडीजी के लिए जारी की गई निधियां **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

(घ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत डीडीजी उन गैर-विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों को विद्युत पहुँच प्रदान करता है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो संभव नहीं है या फिर लागत प्रभावी नहीं है। डीडीजी मुख्य स्कीम डीडीयूजीजेवाई का एक भाग है जिसे दिसंबर, 2014 में शुरू किया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2954 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले पांच वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**जारी की गई निधियां**
1	आंध्र प्रदेश	8681
2	अरुणाचल प्रदेश	22477
3	असम	101343
4	बिहार	333961
5	छत्तीसगढ़	58973
6	गुजरात	10980
7	हरियाणा	1915
8	हिमाचल प्रदेश	4745
9	जम्मू व कश्मीर	15488
10	झारखंड	19385
11	कर्नाटक	19853
12	केरल	8663
13	मध्य प्रदेश	146356
14	महाराष्ट्र	10307
15	मणिपुर	19598
16	मेघालय	14220
17	मिजोरम	5951
18	नागालैंड	9625
19	ओडिशा	97056
21	राजस्थान	48295
22	सिक्किम	5303
23	तमिलनाडु	12920
24	तेलंगाना	3118
25	त्रिपुरा	15647
26	उत्तर प्रदेश	361075
27	उत्तराखंड	9066
28	पश्चिम बंगाल	66392
	सकल योग	**1431392**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2954 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले पांच वर्षों के दौरान डीडीजी के अंतर्गत जारी की गईं राज्य-वार निधियां

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	448.35	852.67	125.24	1102.50	2528.76
2	बिहार	0.00	0.00	985.43		0.00	985.43
3	छत्तसीगढ़	0.00	0.00	935.65	1312.60	3201.00	5449.25
4	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	127.14	148.34	0.00	275.48
5	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	493.30	392.40	885.70
6	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1131.30	1131.30
7	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00
कुल		**0.00**	**448.35**	**2900.89**	**2079.48**	**6356.20**	**11784.92**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2955

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

औद्योगिक प्रक्रिया के लिए ऊर्जा संरक्षण मानक

2955. श्री संजय सेठः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रक्रिया तथा संयंत्रों के लिए ऊर्जा संरक्षण मानक तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में वास्तविक ऊर्जा खपत की तुलना में बहुत ही कम लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस संबंध् में उद्योगों को दिए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिकांश केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया है अथवा उन्होंने मुख्य प्रक्रिया में भाग लेने की बजाय ऐसी तकनीकों को सतही क्रियाकलापों में ही अपनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 31 मार्च, 2016 के सांविधिक आदेश संख्या 1264 (ई) के तहत निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) स्कीम के अन्तर्गत 11 क्षेत्रों (एल्यूमिनियम, सीमेन्ट, क्लोर-अलकाली, उर्वरक, पल्प एण्ड पेपर, लौह एवं इस्पात, वस्त्र, ताप विद्युत संयंत्र, रेलवे, डिस्काम एवं रिफाइनरी) के ऊर्जा गहन औद्योगिक संयंत्रों के लिए ऊर्जा मानदण्ड अधिसूचित किए हैं। रेलवे, डिस्काम और रिफाइनरी नामक तीन नए क्षेत्रों को 1 अप्रैल, 2016 से शुरू किए गए गई पीएटी चक्र-II में शामिल किया गया है।

(ख) : पीएटी विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) अर्थात ऊर्जा गहन औद्योगिक संयंत्रों में उत्पादन की उपयोग की गई प्रति यूनिट ऊर्जा में कमी करने के लिए अभिकल्पित है। पीएटी चक्र-I में 8 क्षेत्रों के 478 औद्योगिक संयंत्रों को इन उद्योगों के आधार वर्ष की कुल ऊर्जा खपत में 4.05% की कमी करने पर केंद्रित एसईसी कमी लक्ष्य दिए गए थे जिससे कुल 6.686 मिलियन टन तेल के समतुल्य ऊर्जा बचत होगी। पीएटी चक्र-II में 11 क्षेत्रों के 621 ऊर्जा गहन औद्योगिक संयंत्रों को ऊर्जा खपत में लगभग 6 प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य दिया गया है।

(ग) : एसईसी कमी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले ऊर्जा औद्योगिक संयंत्र प्रोत्साहन के रूप में ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ईएससी) प्राप्त करने के पात्र हैं। ये ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र पावर एक्सचेंज प्लैटफार्म पर व्यापार योग्य हैं और बाजार मांग के आधार पर एक निश्चित मूल्य के होते हैं।

(घ) और (ङ) : 11 क्षेत्रों के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) का जिनकी ऊर्जा खपत अधिसूचित थ्रैस्होल्ड मूल्य से अधिक अथवा बराबर होती है, ने पीएटी स्कीम में भाग लिया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2956

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत प्रस्ताव

2956. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत चौबीसों घंटे विद्युत प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए अब तक कितनी राशि अनुमोदित और जारी की गई है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कतिपय राशि तत्काल निर्मुक्त करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : निरंतर तथा विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/विद्युत यूटिलिटी का होता है। तथापि, भारत सरकार ने सभी को 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने तथा राज्य की नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। उत्तर प्रदेश ने "सभी के लिए 24x7 विद्युत" के दस्तावेज पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी स्कीमों से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

(ग) : उत्तर प्रदेश सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए 75 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, स्कीम के अंतर्गत निधियों की समग्र उपलब्धता तथा कार्यों की वरीयता के आधार पर, भारत सरकार ने सितम्बर, 2015 के दौरान 6946.44 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 75 नई परियोजनाएं संस्वीकृत कीं। वर्ष 2004-05 से, अब तक, 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य को डीडीयूजीजेवाई (आरई घटक सहित) के अंतर्गत 7014.39 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।

(घ) : स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार शर्तों को पूरा करने पर निधियां जारी की जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से निधि जारी करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी करने को कहा गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2957

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

तापीय विद्युत संयंत्रों के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोत्तरी का प्रभाव

2957. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तापीय विद्युत संयंत्र अपनी सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रहे हैं जिससे उद्योग जगत में यह बहस छिड़ गई है कि देश में वास्तव में 175 गीगा वाट नवीकरणीय योजनागत वर्धित ऊर्जा की जरूरत है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई इस चेतावनी पर गौर किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में और अधिक बढ़ोत्तरी से तापीय विद्युत संयंत्रों पर दबाव बढ़ जाएगा तथा उनकी लाभ राशि समाप्त हो जाएगी; और

(ग) क्या, वैश्विक मानक के अनुसार, उच्च नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले देश अपनी तापीय विद्युत सुविधओं को निम्नतर स्तर पर प्रचालित कर रहे हैं और इस स्तर के साथ उनका प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) लगभग 60 प्रतिशत तक कम हो गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्ष 2016-17 (अप्रैल-नवम्बर, 2016) के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों (कोल/लिग्नाइट) का औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 59.48% था। विकसित देशों में वैश्विक रूप से ताप विद्युत संयंत्र लगभग 50% पीएलएफ पर प्रचालनरत हैं। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध कराने के अलावा 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के जुड़ने से भारत की कार्बन उत्सर्जन की कमी की वचनबद्धता को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी।

सरकार ने नवीकरणीय के बड़े पैमाने पर एकीकरण से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशें कार्यान्वयनाधीन हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2958

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

राजस्थान में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कनेक्शन

2958. श्री नारायण लाल पंचारियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत गांवों एवं ढाणीयां में कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने कनेक्शन दे दिये गये हैं और शेष कनेक्शन कब तक दे दिये जाएंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए राजस्थान के सभी 33 जिलों को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) : दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में ढाणियों सहित 11,66,426 बीपीएल घरों को विद्युत के निशुल्क कनेक्शन दिए गए हैं। एपीएल घरों को यथा लागू भुगतान करके संबंधित राज्य डिस्काम/विद्युत विभाग से, विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने होते हैं। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को 01 मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2959

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं

2959. श्रीमती रानी नाराहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.ई.ई.पी.सी.ओ.) के अंतर्गत कितने विद्युत संयंत्रों अथवा परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है तथा कितनों पर काम चल रहा है और इनमें से प्रत्येक संयंत्र/परियोजना की क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) स्वामित्व के आधार पर प्रचालनरत विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त उपक्रम आधार अथवा स्वामित्व के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वामित्व अथवा संयुक्त उपक्रम के आधार के अंतर्गत भावी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : इसके संयुक्त उद्यम (उद्यमों) सहित नॉर्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) के पूरा किए गए, जारी और भावी विद्युत संयंत्रों के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2959 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

इसके संयुक्त उद्यम (उद्यमों) सहित नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) के पूरा किए गए, जारी और भावी विद्युत संयंत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

पूरा की गई परियोजनाएं - स्वामित्व आधारित				
क्रम सं.	**परियोजना**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**प्रकार**	**राज्य/स्थान**
1.	कोपिली जल विद्युत परियोजना	275	हाइड्रो	असम
2.	दोयांग जल विद्युत परियोजना	75	हाइड्रो	नागालैंड
3.	रंगानदी जल विद्युत परियोजना	405	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश
4.	असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र	291	थर्मल	असम
5.	अगरतला गैस आधारित सीसी विद्युत संयंत्र	135	थर्मल	त्रिपुरा
6.	त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना	101	थर्मल	त्रिपुरा
7.	सोलर ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर प्लांट	5	सोलर	टीजीबीपीपी साइट, त्रिपुरा

चल रही परियोजनाएं - स्वामित्व आधारित				
क्रम सं.	**परियोजना/स्थान**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**प्रकार**	**राज्य/स्थान**
1.	कामेंग एचईपी	600	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश
2.	तुरियल हाइड्रो इलैक्ट्रिक	60	हाइड्रो	मिजोरम
3.	पारे एच.ई. परियोजना	110	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश
4.	ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर प्लांट	3	सोलर	असम

चल रही परियोजनाएं - संयुक्त उद्यम आधारित				
क्रम सं.	**परियोजना/स्थान**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**प्रकार**	**राज्य/स्थान**
1	गुर्रमकोंडा में सौर परियोजना	2x25	सोलर	आंध्र प्रदेश

भावी परियोजनाएं - स्वामित्व आधारित				
क्रम सं.	**परियोजना/स्थान**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**प्रकार**	**राज्य/स्थान**
1	मोफू एचई परियोजना, स्टेज-II	85	हाइड्रो	मेघालय
2.	गारो हिल्स कोल आधारित परियोजना	500	थर्मल	मेघालय

भावी परियोजनाएं - संयुक्त उद्यम आधारित				
क्रम सं.	**परियोजना/स्थान**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**प्रकार**	**राज्य/स्थान**
1	डिबिन एचईपी	120	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश
2.	कुरुंग एचईपी	330	हाइड्रो	अरुणाचल प्रदेश
3.	रोखिया गैस आधारित सीसी परियोजना	35	थर्मल	त्रिपुरा
4.	बारामुरा गैस आधारित सीसी परियोजना	25	थर्मल	त्रिपुरा

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2960

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्रियान्वयन

2960. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) का जमीनी स्तर पर ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के क्रियान्वयन के लिए निधियों की कमी पेश आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए इसके लिए पर्याप्त निधियां निर्मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, नहीं। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है। कोई वित्तीय कठिनाई नहीं है और स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2961

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत कवरेज

2961. श्री दिलीप कुमार तिर्कीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत में 33 प्रतिशत जनसंख्या के पास आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है;

(ख) यदि हां, तो बिजली कनेक्शनों से वंचित जनसंख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 16.78 करोड़ ग्रामीण घर थे तथा 7.50 करोड़ ग्रामीण घर गैर-विद्युतीकृत थे। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन जारी करना राज्यों/वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का उत्तरदायित्व है। सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करने के लिए, भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है जिसमें (i) ग्रामीण विद्युतीकरण; (ii) घरों को पहुँच उपलब्ध कराने; (iii) फीडर पृथक्करण; (iv) उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा (v) मीटरिंग की योजना है। डीडीयूजीजेवाई (इसके आरई संघटक सहित) के अंतर्गत, दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, 2.5 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने राज्यों के साथ संयुक्त पहल की है और सभी के लिए 24x7 विद्युत प्रदान करने का रोडमैप देते हुए दस्तावेज तैयार किए हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2961 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण घरों (आरएचएच) के विद्युतीकरण की स्थिति

31.10.2016 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल ग्रामीण घर (करोड़ में)	शेष गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घर (करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार	0.01	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1.42	0.15
3	तेलंगाना		
4	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.01
5	असम	0.54	0.39
6	बिहार	1.69	1.52
7	चंडीगढ़	0.00	0.00
8	छत्तीसगढ़	0.44	0.13
9	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00
10	दमन व दीव	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.00
12	गुजरात	0.68	0.10
13	हरियाणा	0.30	0.04
14	हिमाचल प्रदेश	0.13	0.00
15	जम्मू व कश्मीर	0.15	0.03
16	झारखंड	0.47	0.32
17	कर्नाटक	0.79	0.10
18	केरल	0.41	0.03
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	1.11	0.46
21	महाराष्ट्र	1.30	0.34
22	मणिपुर	0.03	0.01
23	मेघालय	0.04	0.02
24	मिजोरम	0.01	0.00
25	नागालैंड	0.03	0.01
26	एनसीटी दिल्ली	0.01	0.00
27	ओडिशा	0.81	0.52
28	पुडुचेरी	0.01	0.00
29	पंजाब	0.33	0.01
30	राजस्थान	0.95	0.40
31	सिक्किम	0.01	0.00
32	तमिलनाडु	0.96	0.09
33	त्रिपुरा	0.06	0.02
34	उत्तर प्रदेश	2.55	1.94
35	उत्तराखंड	0.14	0.02
36	पश्चिम बंगाल	1.37	0.82
सकल योग		**16.78**	**7.50**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2962

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

उजाला के अंतर्गत वितरित एल.ई.डी. बल्बों की गुणवत्ता

2962. श्री तिरुची शिवाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उजाला योजना के अंतर्गत देश में और विशेष तौर पर तमिलनाडु में वितरित किए गए एल.ई.डी. बल्बों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे एल.ई.डी. बल्बों की गुणवत्ता विशिष्टताओं का कड़ाईपूर्वक पालन सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली जाँच का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) कार्यक्रम जो विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) की एक सयुंक्त उद्यम कम्पनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार, सम्पूर्ण देश में 18 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। उजाला स्कीम के अन्तर्गत तमिलनाडु सहित देश में वितरित एलईडी बल्बों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : सेल्फ ब्लास्ट लैम्पों के लिए निष्पादन अपेक्षाओं हेतु ईईएसएल प्रापण भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विनिर्दिष्ट आईएस 16102 (पार्ट 2):2012 है। इसके अतिरिक्त तकनीकी कमियों के लिए इन बल्बों को निःशुल्क बदलने के लिए 3 वर्ष की वारंटी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिर्माता अपनी गुणवत्ता प्रतिबाध्यताओं को पूरा करें, ईईएसएल बैंक गारंटी के रूप में संविदा मूल्य का 30% 3 वर्ष के लिए रोके रखता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ईईएसएल को नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड ऑफ लेबोरेट्रिज (एनएबीएल) प्रत्यायित लैब से टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भावी बोलीदाताओं की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ईईएसएल जहाँ वितरण किया जाता है वहाँ से एलईडी बल्बों के क्रम रहित नमूने भी उठाती है और इन्हें एनएबीएल प्रत्यापित लैब से टेस्ट कराया जाता है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2962 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उजाला स्कीम के अंतर्गत देश में वितरित किए गए एलईडी बल्बों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा

(30.11.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र	वितरित किए गए एलईडी बल्बों की संख्या
1	जम्मू व कश्मीर	37,09,781
2	पंजाब	57,679
3	हरियाणा	73,81,252
4	उत्तराखंड	33,79,381
5	हिमाचल प्रदेश	67,80,868
6	दिल्ली	74,88,281
7	उत्तर प्रदेश	111,34,639
8	राजस्थान	118,84,689
9	गुजरात	274,68,725
10	मध्य प्रदेश	89,09,623
11	बिहार	76,28,176
12	सिक्किम	1,397
13	महाराष्ट्र	200,69,497
14	झारखंड	75,61,369
15	छत्तीसगढ़	57,40,823
16	ओडिशा	73,18,564
17	नागालैंड	83,345
18	असम	4,39,000
19	मेघालय	53,023
20	मिजोरम	12,200
21	आंध्र प्रदेश	190,27,049
22	पश्चिम बंगाल	3,40,853
23	तेलंगाना	5,60,485
24	गोवा	7,23,474
25	कर्नाटक	136,72,491
26	तमिलनाडु	61,018*
27	केरल	77,50,299
28	दमन व दीव	95,010
29	दादरा व नागर हवेली	81,177
30	लक्षद्वीप	1,00,000
31	अंडमान व निकोबार	4,00,000
32	पुडुचेरी	6,09,251
	कुल	**1805,23,419**

* उजाला की औद्योगिक वितरण स्कीम के अंतर्गत

एलईडी बल्ब वितरित करने के लिए तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन (टैनजेडको) ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को 20.10.2016 को एलईडी बल्बों के वितरण की अनुमति दी। तमिलनाडु में संस्थागत वितरण स्कीम के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों को अब तक 61,018 एलईडी बल्ब वितरित किए गए।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2963

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

'उदय' (उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना) का कार्यनिष्पादन

2963. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचूः
श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत वितरण कंपनियों की पुनरुद्धार करने के उद्देश्य वाली उदय योजना का वितरण कंपनियों के कार्य-निष्पादन पर कोई सकारात्मक प्रभाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमानित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त परिणामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, हाँ। डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्नअराउंड के लिए सरकार द्वारा उदय शुरू की गई है। वित्तीय टर्नअराउंड फ्रंट पर सहभागी राज्यों ने लगभग 1.83 लाख करोड़ रुपये के बॉण्ड पहले ही जारी कर दिए जो उदय के अंतर्गत निष्पादित समझौता-ज्ञापन (एमओयू) में परिकल्पित उनके ऋण का 84% है।

उदय के अंतर्गत किए गए उपाय ब्याज भार को कम करने और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए लक्षित है। ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2963 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उदय बांड जारी करने का ब्यौरा

रुपए करोड़ में

क्रम सं.	राज्य	30.09.2015 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम देयताएं (पुनर्गठित की जानी हैं)	राज्य द्वारा आज की तारीख तक जारी किए गए कुल बांड	डिस्कॉम द्वारा आज की तारीख तक जारी किए गए कुल बांड	उदय के अंतर्गत आज की तारीख तक जारी किए गए कुल बांड
1	2	3	4	5	6
1	राजस्थान	80530	58157	12368	70525
2	उत्तर प्रदेश	53935	39133.29	10714	49847
3	छत्तीसगढ़	1740	870	0	870
4	झारखंड	6718	6136	0	6136
5	पंजाब	20838	15629	0	15629
6	बिहार	3109	2332	0	2332
7	जम्मू व कश्मीर	3538	3538	0	3538
8	हरियाणा	34602	25951	0	25951
9	आंध्र प्रदेश	11008	8256	0	8256
10	मध्य प्रदेश	4539	0	0	0
11	महाराष्ट्र	6613	0	0	0
कुल:-		**227170**	**160002.29**	**23082**	**183084.29**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2964

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

2964. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः
श्रीमती अम्बिका सोनीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्मार्ट ग्रिड की योजना और नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) का ब्यौरा क्या है;

(ख) अमरावती, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं आरंभ करने की मांग हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने भारत में स्मार्ट ग्रिड कार्यकलापों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों की आयोजना करने एवं निगरानी के कार्यान्वयन के लिए 27 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की स्थापना की है। एनएसजीएम का तीन स्तरीय संरचना है। सबसे ऊंचा स्तर शासी परिषद होती है जिसकी अध्यक्षता विद्युत मंत्री द्वारा की जाती है, यह परिषद देश में स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन के लिए सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करती है। दूसरे स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति होती है जिसकी अध्यक्षता सचिव (विद्युत) द्वारा की जाती है जो शासी परिषद को नीति संबंधी सूचना उपलब्ध करवाती है और स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं का अनुमोदन, निगरानी और समीक्षा करती है। तीसरे स्तर पर तकनीकी समिति होती है

इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष करते हैं जो तकनीकी पहलुओं, स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा, प्रौद्योगिकी चयन दिशा-निर्देशों, तथा अन्य तकनीकी मामलों पर अधिकार प्राप्त समिति को सहायता प्रदान करती है। एनएसजीएम के दैनिक प्रचालन के लिए, एनएसजीएम परियोजना प्रबंधन यूनिट (एनपीएमयू) की भी स्थापना की गई है।

(ख) : अमरावती (आंध्र प्रदेश) की स्मार्ट ग्रिड परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, चंडीगढ़ के लिए 28.58 करोड़ रुपए के मूल्य की स्मार्ट ग्रिड परियोजना को मंजूरी दी गई है।

(ग) : एनएसजीएम के अंतर्गत अन्य स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं को 90.05 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र में अमरावती, 139.15 करोड़ रुपए की लागत से कॉंग्रेस नगर (नागपुर), महाराष्ट्र तथा 319.57 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश में कानपुर को मंजूरी दी गई है।

(घ) : स्मार्ट ग्रिड एक सतत विकास की संकल्पना है। वर्तमान में, देश में 11 स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। चार स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं को एनएसजीएम के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई है। एनपीएमयू देश में स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क के विकास को तेज करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2965

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन

2965. श्रीमती अम्बिका सोनीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के ऊर्जा संसाधनों का ऊर्जा संरक्षण तथा दक्षता के माध्यम से प्रबंधन करने के लिए सचिवों के समूह द्वारा संस्तुत 11 सूत्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु किसी कार्य योजना को नीति आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन सालों के दौरान कुल कितनी ऊर्जा का संरक्षण होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता सचिव समूह ने ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता के माध्यम से भारत के ऊर्जा संसाधनों का प्रबंध करने के लिए ग्यारह सूत्री कार्ययोजना की सिफारिश की है। इस कार्ययोजना में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों यथा-विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शहरी विकास मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने जिन सिफारिशों पर कार्रवाई करनी है, उनके कार्यन्वयन के लिए अपनी-अपनी कार्ययोजनाएं तैयार की हैं। इन कार्ययोजनाओं के बारे में नीति आयोग को अवगत करवाया जा चुका है तथा उन पर की गई कार्रवाई की नीति आयोग ने संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा भी की है। नीति आयोग कार्ययोजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन कर रहा है तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई प्रगति ट्रैक रखता है।

(ग) : वर्ष 2019 के अंत तक, सिफारिशों के कार्यान्वयन से, 44 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) बचत होने की संभावना है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2966

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में राजस्थान का प्रतिनिधित्व

2966. श्री भुपेन्द्र यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 26 जुलाई, 1986 को हुई बी.बी.एम.बी. की 122वीं बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सचिवालय द्वारा सभी राज्यों के उचित प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे पर निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्णकालिक सदस्य, सचिवों, विशेष सचिवों आदि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान को मुख्य भागीदार होने के बावजूद बी.बी.एम.बी. की उक्त बैठक में यथानिर्णित उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करने हेतु बी.बी.एम.बी. को तत्काल निदेश देगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) की दिनांक 26.07.1986 को आयोजित 122वीं बैठक में बोर्ड सचिवालय में भागीदार राज्यों के बीच सामान्य मद, महत्वपूर्ण नियुक्तियों की रेशनलाइजेशन के अंतर्गत विचार-विमर्श हुआ था। वर्तमान में, बीबीएमबी में निम्नलिखित पूर्णकालिक सदस्य, सचिव, विशेष सचिव नियुक्त हैं:

पदनाम	अधिकारी का नाम	राज्य का नाम	अवधि
सदस्य (**विद्युत**)	श्री विजय कुमार कालरा	पंजाब	06.08.2015 से अब तक
सदस्य (**सिंचाई**)	श्री एस.के. शर्मा	हरियाणा	27.07.2015 से अब तक
सचिव	श्री तरुण अग्रवाल	हरियाणा	02.11.2015 से अब तक
विशेष सचिव	श्री आर.एस. जाल्टा	हिमाचल प्रदेश	03.04.2012 से अब तक

(ग) और (घ) : बीबीएमबी के बोर्ड में राजस्थान सरकार के एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव के रैंक का प्रतिनिधि होता है। इसके अतिरिक्त, बीबीएमबी सचिवालय के 4 महत्वपूर्ण पदों अर्थात सचिव, विशेष सचिव, निदेशक (मानव संसाधन विकास) और निदेशक (सुरक्षा), पर प्रत्येक भागीदार राज्य अर्थात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का एक-एक अधिकारी आसीन होता है। वर्तमान में, राजस्थान के अधीक्षण अभियंता पद के अधिकारी को मण्डल सचिवालय में निदेशक/मानव संसाधन के रूप में तैनात किया गया है। राजस्थान को भी बीबीएमबी संगठन में उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और राजस्थान के विभिन्न अधिकारियों को, उसके हिस्से के अनुसार तैनात किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2967

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत टैरिफ का निर्धारण

2967. श्रीमती छाया वर्माः

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

चौधरी सुखराम सिंह यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विद्युत कंपनियां टैरिफ में कई प्रकार की गड़बड़ियां करके विद्युत दरें बढ़ाने का दबाव सरकार पर बनाती हैं जिससे उपभोक्ताओं को बिजली महंगी दर पर मिल रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कैग की सिफारिश को मान कर उपभोक्ता के हितों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण करना उचित होगा; और

(ग) दिल्ली के उपभोक्ताओं को किस दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 64 के तहत प्रावधानों के अनुसार, उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने के कार्य विद्युत विनियामक आयोगों को सौंपे गए हैं। केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन और पारेषण कंपनियों का प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि राज्य में उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए प्रशुल्क राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। चूंकि प्रशुल्क निर्धारण का कार्य उपयुक्त आयोग को सौंपा गया है, इसलिए इस संबंध में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ग) : दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दरों (प्रशुल्क अनुसूची 2015-16 के अनुसार) जिन पर दिल्ली में उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध की जा रही हैं, के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2967 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

प्रशुल्क अनुसूची: 2015-16

[बीएसईएस पावर लि. (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लि. (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (टीपीडीडीएल)]

	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार
1	**घरेलू**		
1.1	**निजी कनेक्शन**		
	0-200 यूनिट	**स्वीकृत भार:** **2 केडब्ल्यू तक - 40/- रुपए/माह** **2 केडब्ल्यू से - 5 केडब्ल्यू -100/- रुपए/माह** **> 5 केडब्ल्यू - 25 रु./केडब्ल्यू/माह**	400 पैसा/केडब्ल्यूएच
	201-400 यूनिट		595 पैसा/केडब्ल्यूएच
	401 - 800 यूनिट		730 पैसा/केडब्ल्यूएच
	801-1200 यूनिट		810 पैसा/केडब्ल्यूएच
	1200 यूनिट से अधिक		875 पैसा/केडब्ल्यूएच
1.2	**ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (जीएचएस) के लिए सिंगल डिलीवरी प्वाइंट (प्रशुल्क अनुसूची की अन्य निबंधन एवं शर्तों के माध्यम से पैरा 1.2 में उल्लेखानुसार जीएचएस)**		
	11 केवी पर आपूर्ति		600 पैसा/केडब्ल्यूएच
2	**गैर-घरेलू**		
2.1	**गैर-घरेलू लो टेंशन (एनडीएलटी)**		
	10 केडब्ल्यू तक	100 रु./केडब्ल्यू/माह	880 पैसा/केडब्ल्यूएच
	10 केडब्ल्यू/11 केवीए - 140 केडब्ल्यू/150 केवीए के बीच	115 रु./केवीए/माह	850 पैसा/केवीएएच
	140 केडब्ल्यू/150 केवीए (400 वोल्ट) से अधिक (> 200 केडब्ल्यू/215 केवीए भार के लिए एलटी पर आपूर्ति नहीं)	150 रु./केवीए/माह	995 पैसा/केवीएएच
2.2	**गैर-घरेलू हाई टेंशन (एनडीएचटी)**		
	11 केवी और उससे अधिक के लिए आपूर्ति (100 केडब्ल्यू/108 केवीए से अधिक भार के लिए)	125 रु./केवीए/माह	840 पैसा/केवीएएच
3	**औद्योगिक**		
3.1	**लघु औद्योगिक विद्युत (एसआईपी) [200 केडब्ल्यू/215 केवीए से कम]**		
	10 केडब्ल्यू तक	80 रु./केडब्ल्यू/माह	845 पैसा/केडब्ल्यूएच
	10 केडब्ल्यू/11 केवीए - 140 केडब्ल्यू/150 केवीए के बीच	90 रु./केवीए/माह	790 पैसा/केवीएएच
	140 केडब्ल्यू/150 केवीए (400 वोल्ट) से अधिक (> 200 केडब्ल्यू/215 केवीए भार के लिए एलटी पर आपूर्ति नहीं	150 रु./केवीए/माह	950 पैसा/केवीएएच
3.2	**एसआईपी उपभोक्ताओं के ग्रुप के लिए 11 केवी सिंगल प्वाइंट डिलीवरी पर औद्योगिक विद्युत**	90 रु./केवीए/माह	710 पैसा/केवीएएच
3.3	**वृहद औद्योगिक विद्युत (एलआईपी) (11 केवी और उससे अधिक पर आपूर्ति)**	125 रु./केवीए/माह	740 पैसा/केवीएएच
4	**कृषि**	20 रु./केडब्ल्यू/माह	275 पैसा/केडब्ल्यूएच
5	**मशरूम कल्टीवेशन**	40 रु./केडब्ल्यू/माह	550 पैसा/केडब्ल्यूएच
6	**पब्लिक लाइटिंग**		
6.1	**मीटरीकृत**		730 पैसा/केडब्ल्यूएच
6.2	**गैर-मीटरीकृत**		780 पैसा/केडब्ल्यूएच
7	**दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)**		
7.1	**एलटी पर आपूर्ति**		
क	10 केडब्ल्यू तक	80 रु./केडब्ल्यू/माह	800 पैसा/केडब्ल्यूएच
ख	10 केडब्ल्यू/11 केवीए से 140 केडब्ल्यू/150 केवीए के बीच	90 रु./केवीए/माह	780 पैसा/केवीएएच
ग	140 केडब्ल्यू/150 केवीए (400 वोल्ट) से अधिक (> 200 केडब्ल्यू/215 केवीए भार के लिए एलटी पर आपूर्ति	150 रु./केवीए/माह	930 पैसा/केवीएएच

	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार
	नहीं		
7.2	11 केवी और उससे अधिक पर आपूर्ति	125 रु./केवीए/माह	720 पैसा/केवीएएच
8	**दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)**	150 रु./केवीए/माह	790 पैसा/केवीएएच
9	**रेलवे ट्रैक्शन**	150 रु./केवीए/माह	680 पैसा/केवीएएच
10	**दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) (220 केवी और 66 केवी पर आपूर्ति)**	125 रु./केवीए/माह	610 पैसा/केवीएएच
11	**विज्ञापन और होर्डिंग**	500 रु./माह/होर्डिंग	1120 पैसा/केवीएएच
12	**अस्थायी आपूर्ति**		
12.1	की कुल अवधि के लिए		
क	16 दिनों से कम	घरेलू श्रेणी के अलावा प्रासंगिक श्रेणी का 50%	घरेलू श्रेणी के अलावा प्रशुल्क का प्रासंगिक श्रेणी का 30% (अस्थायी सरचार्ज) द्वारा अधिक
ख	16 दिनों और उससे अधिक	किसी भी अस्थायी अधिभार के बिना प्रासंगिक श्रेणी के रूप में ही	घरेलू श्रेणी के अलावा प्रशुल्क का प्रासंगिक श्रेणी का 30% (अस्थायी सरचार्ज) द्वारा अधिक
12.2	रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग कनेक्शन और अन्य रेजिडेंशियल कनेक्शनों के लिए	किसी भी अस्थायी अधिभार के बिना प्रासंगिक श्रेणी के रूप में ही	किसी भी अस्थायी अधिभार के बिना प्रासंगिक श्रेणी के रूप में ही
12.3	परम्परा के अनुसार धार्मिक कार्य और स्थापना विशेषताएं और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए	1.1 के अनुरूप	अस्थायी प्रभार के लिए 1.1 के अनुरूप
12.4	निर्माण परियोजनाओं के लिए	प्रासंगिक श्रेणी के रूप में	समानुरूप जोकि 30% के अस्थायी सरचार्ज के साथ प्रासंगिक श्रेणी
12.5	थ्रेशरों के लिए		
क	30 दिनों के थ्रेसिंग सीजन के दौरान	एमसीडी का विद्युत कर: 270 रु. प्रति कनेक्शन	5,400 रुपए की एकसमान दर
ख	बढ़ी हुई अवधि के लिए		प्रत्येक सप्ताह अथवा इनके हिस्से के लिए प्रोरेटा आधार पर

<u>टाईम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ</u>

माह	व्यस्ततम समय	ऊर्जा प्रभार पर प्रभार	ऑफ-व्यस्ततम समय	ऊर्जा प्रभार पर छूट
मई-सितंबर	1300-1700 बजे और 2100-2400 बजे	20%	0300-0900 बजे	20%

नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी)

क्रम सं.	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार
1	**घरेलू**		
1.1	**निजी कनेक्शन**		
	0-200 यूनिट	20 रु./केडब्ल्यू/माह	325 पैसा/केडब्ल्यूएच
	201-400 यूनिट	20 रु./केडब्ल्यू/माह	460 पैसा/केडब्ल्यूएच
	401-800 यूनिट	20 रु./केडब्ल्यू/माह	600 पैसा/केडब्ल्यूएच
	801-1200 यूनिट	20 रु./केडब्ल्यू/माह	675 पैसा/केडब्ल्यूएच
	1200 यूनिट से अधिक	20 रु./केडब्ल्यू/माह	800 पैसा/केडब्ल्यूएच
1.2	**ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (जीएचएस) के लिए सिंगल डिलीवरी प्वाइंट (प्रशुल्क अनुसूची की अन्य निबंधन एवं शर्तों के माध्यम से पैरा 1.2 में उल्लेखानुसार जीएचएस)**		
	11 केवी पर आपूर्ति		600 पैसा/केडब्ल्यूएच
2	**गैर-घरेलू**		
2.1	**गैर-घरेलू (लो टेंशन) 100 केडब्ल्यू/108 केवीए तक**		

क्रम सं.	श्रेणी	निर्धारित प्रभार	ऊर्जा प्रभार
क	10 केडब्ल्यू तक	75 रु./केडब्ल्यू/माह	760 पैसा/केडब्ल्यूएच
ख	10 केडब्ल्यू/11 केवीए के बीच - 140 केडब्ल्यू/150 केवीए	90 रु./केवीए/माह	805 पैसा/केवीएएच
ग	140 केडब्ल्यू/150 केवीए (400 वोल्ट) से अधिक (> 200 केडब्ल्यू/215 केवीए भार के लिए एलटी पर आपूर्ति नहीं		
i	जहां एनडीएमसी सब-स्टेशन से पूर्ति की गई	150 रु./केवीए/माह	835 पैसा/केवीएएच
ii	जहां आवेदक उप-केंद्रों के लिए बिल्ट अप स्पेस उपलब्ध करवाता है	135 रु./केवीए/माह	785 पैसा/केवीएएच
2.2	**गैर-घरेलू हाई टेंशन (एनडीएचटी)**		
	11 केवी और उससे अधिक के लिए आपूर्ति (100 केडब्ल्यू/108 केवीए से अधिक भार के लिए)	125 रु./केवीए/माह	715 पैसा/केवीएएच
3	**लघु औद्योगिक विद्युत (एसआईपी)**	50 रु./केडब्ल्यू/माह	695 पैसा/केवीएएच
4	**पब्लिक लाइटिंग**		
4.1	**मीटरीकृत**		730 पैसा/केडब्ल्यूएच
4.2	**गैर-मीटरीकृत**		780 पैसा/केडब्ल्यूएच
5	**रेलवे ट्रैक्शन**	150 रु./केवीए/माह	680 पैसा/केवीएएच
6	**दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी)**		
	डीएमआरसी (220 केवी औप 66 केवी पर आपूर्ति)	125 रु./केवीए/माह	610 पैसा/केवीएएच
7	**विज्ञापन और होर्डिंग**	500 रु./माह/होर्डिंग	1120 पैसा/केवीएएच
8	**अस्थायी आपूर्ति**		
8.1	की कुल अवधि के लिए		
क	16 दिनों से कम	घरेलू श्रेणी के अलावा प्रासंगिक श्रेणी का 50%	घरेलू श्रेणी के अलावा प्रशुल्क का प्रासंगिक श्रेणी का 30% (अस्थायी सरचार्ज) द्वारा अधिक
ख	16 दिनों और उससे अधिक	किसी भी अस्थायी अधिभार के बिना प्रासंगिक श्रेणी के रूप में ही	घरेलू श्रेणी के अलावा प्रशुल्क का प्रासंगिक श्रेणी का 30% (अस्थायी सरचार्ज) द्वारा अधिक
8.2	रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग कनेक्शन और अन्य रेजिडेंशियल कनेक्शनों के लिए	किसी भी अस्थायी अधिभार के बिना प्रासंगिक श्रेणी के रूप में ही	किसी भी अस्थायी अधिभार के बिना प्रासंगिक श्रेणी के रूप में ही
8.3	परम्परा के अनुसार धार्मिक कार्य और स्थापना विशेषताएं और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए	घरेलू श्रेणी के रूप में	किसी भी अस्थायी अधिभार के बिना प्रासंगिक श्रेणी के रूप में ही
8.4	निर्माण परियोजनाओं के लिए	प्रासंगिक श्रेणी के रूप में	प्रासंगिक श्रेणी का 30% (अस्थायी सरचार्ज) द्वारा अधिक

<u>टाईम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ</u>

माह	व्यस्ततम समय	ऊर्जा प्रभार पर प्रभार	ऑफ-व्यस्ततम समय	ऊर्जा प्रभार पर छूट
मई-सितंबर	1300-1700 बजे और 2100-2400 बजे	20%	0300-0900 बजे	20%

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2968

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2016 को दिया जाना है ।

गाँवों का विद्युतीकरण

2968. चौधरी सुखराम सिंह यादवः

श्रीमती छाया वर्माः

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा देश के सभी गाँवों को बिजली पहुँचाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत कितने गाँवों को बिजली पहुंचाई गई है;

(ग) यह योजना कब प्रारंभ की गई तथा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं एवं क्या यह निर्धारित लक्ष्य को पाने में मंत्रालय को सफलता मिल पा रही है; और

(घ) पिछले 3 वर्षों में अभी तक इस योजना में कितनी धनराशि खर्च की गई है तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां। देश में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को मई, 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है। पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को आरई घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में समाहित किया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई (आरई घटक सहित) के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या निम्नानुसार हैं:

2013-14	1197
2014-15	1405
2015-16	7108

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना वाले गांव थे। इनमें से, दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार 10,628 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। विद्युत मंत्रालय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है एवं मई 2018 तक शेष सभी गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

(घ) : विगत तीन वर्षों के दौरान संवितरित राज्य-वार सब्सिडी **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2968 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई (इसके आरई संघटक सहित) के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार सब्सिडी

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2013-14	2014-15	2015-16
1	आंध्र प्रदेश		1897	1962
2	अरुणाचल प्रदेश	494	6034	3098
3	असम	1896	11462	33801
4	बिहार	84813	148980	71022
5	छत्तीसगढ़	4335	8111	24731
6	गुजरात	753	1236	5779
7	हिमाचल प्रदेश			2835
8	जम्मू व कश्मीर	3509		
9	झारखंड		942	
10	कर्नाटक	3982	2596	3896
11	केरल	2117	1537	
12	मध्य प्रदेश	11526	35198	43483
13	महाराष्ट्र			4327
14	मणिपुर	2980	8766	704
15	मेघालय	1813		
16	मिजोरम	4090		1860
17	नागालैंड	717		4831
18	ओडिशा	252	1553	51423
19	राजस्थान	312		25252
20	सिक्किम	1629		
21	तमिलनाडु	578		8262
22	तेलंगाना	692	344	533
23	त्रिपुरा		4819	4938
24	उत्तर प्रदेश	106106	112107	123766
25	उत्तराखंड			7121
26	पश्चिम बंगाल	5171	14503	30519

****